भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4066
12 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)

4066. श्री जिया उर रहमान:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और
(ख) यदि हाँ, तो पारदर्शिता और खाद्यान्न के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) का प्रचालन, केंद्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केंद्र सरकार खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के विनिर्दिष्ट डिपो तक परिवहन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न के आवंटन, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, टीपीडीएस के तहत पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण, उचित दर दुकानों के डीलरों को लाइसेंस जारी करना, एफपीएस के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की प्रचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संबंध में संपर्क करने एवं शिकायतों के निवारण और अभीष्ट लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हेल्पलाइन नंबर 1967/1800 (राज्य श्रृंखला संख्या) चालू है। तदनुसार, जब भी इस विभाग में टीपीडीएस से संबंधित शिकायतें/परिवाद प्राप्त होते हैं, उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जांच और उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

...2/-

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनियमितताओं से संबंधित कुल 16390 शिकायतें प्राप्त हुईं थी। 16390 में से 12933 शिकायतों की जांच की गई और नियमों के अनुसार उनका निपटारा कर दिया गया।

(घ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का 100% डिजिटलीकरण किया गया है; 99.7% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं, जिससे अपात्र/डुप्लिकेट कार्ड समाप्त हो गए हैं।

ii. पारदर्शिता और शिकायत निवारण: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण/टोल-फ्री हेल्पलाइन चालू हैं।

iii. ऑनलाइन आवंटन और आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण: सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है; 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुददुचेरी और दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण किया गया है ।

iv. एफपीएस स्तर पर ई-पीओएस आधारित आधार प्रमाणीकरण: 5.51 लाख उचित दर दुकानों में से 5.50 लाख (99.8%) ई-पीओएस उपकरणों के माध्यम से स्वचालित हैं, जिससे वितरण स्थल पर लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है और डायवर्जन में कमी आती है।

v. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी): सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिसमें पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थी शामिल हैं; अब तक 221 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जिससे बहिष्करण और पात्रता दावों की पुनरावृत्ति में कमी आई है।

vi. उचित लक्ष्यीकरण (आरटी): आधार/पीडीएस डाटा विश्लेषण का उपयोग करके एक समर्पित डी-डुप्लिकेशन और लाभार्थी सत्यापन कार्रवाई से अपात्र/डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें हटाने में मदद मिली है, जिसमें 5.95 करोड़ चिह्नित लाभार्थी (भूमि धारक मामलों को छोड़कर) और 2.35 करोड़ हटाए गए लाभार्थी शामिल हैं।

vii. स्मार्ट-पीडीएस सुधार पहल: राज्य स्तरीय टीपीडीएस प्रचालन को और अधिक मानकीकृत करने और डिजिटल रूप से एकीकृत करने के लिए राशन कार्ड प्रबंधन, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण मॉड्यूल के साथ इसे लागू किया जा रहा है।

viii. निर्मल और सक्षम: सार्थक पीडीएस अम्ब्रेला योजना (2026-31) के तहत नई पहल का उद्देश्य खाद्यान्न की खरीद से लेकर लाभार्थियों तक वितरण (सक्षम) संबंधी डाटा संरचना/विश्लेषण (निर्मल) और वास्तविक समय में डाटा एकीकरण (वीएलटीएस सहित) को मजबूत करना है।
